न्यायालय उप/जिलाधिकारी औरैया जनपद-औरैया
मु०न० 16/12-13 धारा 143 Z.A.L.R.Act
मौजा- रतनपुर गढ़िया परगना-औरैया / जिला औरैया
चौधरी सुरेश सिंह महा० vs गाँव सभा
निर्णय 1-8-13

न्यायालय उपजिलाधिकारी औरैया जनपद-औरैया।

वाद संख्या- 16 /2012-13 धारा-143 जेड०ए०एक्ट

ग्राम- रतनपुर गढ़िया परगना व जिला औरैया।

चौधरी सुरेश सिंह महाविद्यालय रतनपुर गढ़िया बनाम गाँव सभा ।

निर्णय-दिनांक 1-8-13
====

प्रार्थी सुरेश सिंह प्रबन्धक चौधरी सुरेश सिंह महाविद्यालय रतनपुर गढ़िया व्दारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09/4/2013 वास्ते ग्राम रतनपुर गढ़िया परगना व जिला औरैया स्थित खतौनी वर्ष- 1417-1422फ0 की खातासं0-168 के गाटा संख्या-420क/0.348, 422क/0.109, 423/0.190, कुल 3 किता रकवई 0.647 हे0 मालगुजारी 18.60 रुपया व खाता संख्या-225 के गाटा संख्या-420ख/0.344, 422ग/0.263, कुल 2 किता रकवई 0.607 हे0 माल-गुजारी मालगुजारी 24.30 रुपया प्रार्थी के नाम दर्ज है। जिस पर वर्तमान में विद्यालय बना हुआ है और कृषि कार्य नही हो रहा है जिसे अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है । जिस पर तहसीलदार औरैया से धारा-143 जेड0 ए0एक्ट के नियम-135 के तहत् स्थलीय जांच कराकर आख्या दिनांक - 09/5/2013 प्राप्त की गयी । तहसीलदार औरैया ने अपनी स्थलीय जांच आख्या में कहा कि ग्राम रतनपुर गढ़िया की उपरोक्त गाटा नम्बरों पर वर्तमान कोई कृषि कार्य नही हो रहा है निर्माणाधीन भवन का छायाचित्र संलग्न है । नियमानुसार न्यायालय व्दारा पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया । जो कि बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली पर संलग्न है। किसी के व्दारा कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी । प्रार्थी व्दारा खसरा प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर संलग्न है । तहसीलदार औरैया व्दारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। अत: मेरे व्दारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील-दार औरैया की स्थलीय जांच आख्या दिनांक 09/5/2013 धारा-143 जेड0 ए0एक्ट के नियम-135 के तहत् स्वीकार किये जाने योग्य है । अत:

आदेश
=======

ग्राम-रतनपुर गढ़िया परगना जिला औरैया की खतौनी वर्ष-1417-

क्रमश: -2/-प

01/08/2013

2 (2) 15

1422फ0 को खाता संख्या-168 के गाटा संख्या-420क/0.348, 422क/0.109, 423/0.190, कुल 3 किता रकबई0.647 हे0 मालगुजारी 18.60 रुपया व खाता संख्या-225 के गाटा संख्या-420ख/0.344, 422ग/0.263, कुल 2 किता रकबई 0.607 हे0 मालगुजारी 24.30 रुपया को अकृषिक घोषित किया जाता है। तथा मालगुजारी क्रमशः 18.60 रुपया व 24.30 रुपया से अवमुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल-दरामद जारी हो । आदेश की एक प्रति सब-रजिस्ट्रार औरैया को भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक :- 01/8/2013

(जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी,
औरैया। 01/08/13

2065

1-दिनॉक 24.2.20
2-प्रार्थी का नाम जितेन्द्र कुमार
3-शब्द सं0 406
4-टिकट 7.00
5-दिनॉक तैयारी 26.2.20
6-दिनॉक निर्गत 26.2.20

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखापाल
औरैया
26.2.20